संख्या-22/2024/34/30-1099/157/2021

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2024

विषयः- क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर के निर्माण से सम्बन्धित वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान प्रबन्धक (पीएण्डआईडी) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या- 22 बी/डीए/पूर्व/24-75जेईटी/वि0/17-18, दिनांक 04.01.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-32/2017/1174(1)/तीस-1-2017-5(1)-2017, दिनांक 22.12.2017 द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर के निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2015 के कुर्सी क्षेत्रफल पर आधारित लागत धनराशि रू0 804.50 लाख, जिसमें वैट आदि टैक्स सम्मिलित थे, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख तथा शासनादेश संख्या- 02/2020/46/तीस-1-2020-5(1)/2017, दिनांक 03.02.2020 द्वारा द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू0 404.50 लाख की धनराशि कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त की गयी है। उक्त परियोजना हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया।

2- निर्माण कार्यों के परियोजनाओं में जी0एस0टी0 की संशोधित दरें लागू करने के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या- 2/2022/ई-8-292/दस-2022, दिनांक 13.09.2022 की व्यवस्थानुसार प्रश्नगत परियोजना में दिनांक 01.07.2017 के बाद कराये गये कार्यों पर जी0एस0टी0 की समय-समय पर प्रचलित दरों को उनके प्रभावी होने की दिनांक से लागू करते हुए जी0एस0टी0 की गणना सुनिश्चित कराकर जी0एस0टी0 की दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर के निर्माण कार्य में तत्समय लागू 12.00 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 84.56 लाख जोड़ने तथा 4.00 प्रतिशत वैट की धनराशि रू0 28.30 लाख घटाने पर प्रश्नगत प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत धनराशि रू0 861.10 लाख हो गयी।

3- प्रधान प्रबन्धक (पीएण्डआईडी) उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 04.01.2024 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यशाला गोरखपुर के निर्माण हेतु पुनरीक्षित विस्तृत आगणन रू0 776.20 लाख + 84.90 लाख जी0एस0टी0 = कुल धनराशि रू0 861.10 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं पूर्व में प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 400.00 लाख एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 404.50 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 804.50 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0 56.60 लाख (रूपये छप्पन लाख साठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु तृतीय व अन्तिम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।

(4) परिवहन निगम द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: ज-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी परिवहन निगम द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है को सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त व्यय की जायेगी।

(9) उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम लोक सभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

(10) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-32/2017/1174(1)/तीस-1-2017-5(1)-2017, दिनांक 22.12.2017 तथा शासनादेश संख्या- 02/2020/46/तीस-1-2020-5(1)/2017, दिनांक 03.02.2020 के अनुरूप यथावत रहेंगी, किन्तु शासनादेश संख्या- 02/2020/46/तीस-1-2020-5(1)/2017, दिनांक 03.02.2020 द्वारा धनराशि रू0 404.50 लाख को द्वितीय एवं अन्तिम किश्त के रूप अवमुक्त किये जाने के स्थान पर मात्र द्वितीय किश्त के रूप अवमुक्त किया गया समझा जाये।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखा शीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

5- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या– यू0ओ0 संख्या– E-9-689-X-2023-24 दिनांक: 19-3-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह/0
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-22/2024/34(1)/ 30-1099/157/2021, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ ।
7. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
9. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह/0
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।